



हरियाणा सरकार
नागरिक अधिकार-पत्र
वास्तुकला विभाग, हरियाणा



मुख्य वास्तुक, वास्तुकला विभाग, हरियाणा
निर्माण सदन, प्लाट नं0 1,
सैक्टर-33ए, चण्डीगढ़



नागरिक अधिकार पत्र

मुख्य वास्तुक,
वास्तुकला विभाग, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

हमारा उद्देश्य है:-


सरकारी विभागों, संगठनों, निगमों और विश्वविद्यालयों आदि के लिए भवन परियोजनाओं के नक्शों तथा डिजाईन बनाना।

हमारे ग्राहक हैं:-

1. सरकारी विभाग व संगठन
2. अर्ध-सरकारी संगठन

सेवाओं का स्तर/समय सीमा

1. प्रशासकीय स्वीकृति लेने के लिए आर्किटेक्चरल ड्राईंग बनाने में
 1. 1 से 5 लाख तक के कार्य में 30 दिन
 2. 5 से 15 लाख तक के कार्य में 30 दिन
 3. 15 से 50 लाख तक के कार्य में 45 दिन
 4. 50 लाख से उपर के कार्य में 60 दिन लगते हैं।
2. प्रशासकीय स्वीकृति आने पर स्ट्रक्चरल एडवाईस लेने के लिए आर्किटेक्चरल ड्राईंग बनाने में
 1. 1 से 5 लाख तक के कार्य में 15 दिन
 2. 5 से 15 लाख तक के कार्य में 30 दिन
 3. 15 से 50 लाख तक के कार्य में 45 दिन
 4. 50 लाख से उपर के कार्य में 60 दिन लगते हैं।
3. स्ट्रक्चरल एडवाईस के अनुसार वर्किंग ड्राईंग बनाने के लिए
 1. 1 से 5 लाख तक के कार्य में 30 दिन
 2. 5 से 15 लाख तक के कार्य में 30 दिन



3. 15 से 50 लाख तक के कार्य में 30 दिन
4. 50 लाख से उपर के कार्य में 30 दिन लगते हैं।

4. आर्किटेक्चरल डिटेल्/डिटेल्ड ड्राईंग बनाने में

1. 1 से 5 लाख तक के कार्य में 45 दिन
2. 5 से 15 लाख तक के कार्य में 3 महीने
3. 15 से 50 लाख तक के कार्य में 6 महीने
4. 50 लाख से उपर के कार्य में 9 महीने लगते हैं।

हमारी कार्य प्रणाली

हम राज्य सरकार के सरकारी विभागों, अर्ध-सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों से उनके भवनों के नक्शों बनाने से पूर्व उनके विभागध्यक्षों को भवन का विवरण तथा स्कोप ऑफ वर्क के साथ जहाँ पर भवन बनाना हो, उस जमीन का साईट प्लान भेजने के लिए अनुरोध करते हैं। वास्तुकी सेवाएं देने के लिए विभागीय फीस का प्रोफार्मा साथ संलग्न किया जाता है विभागीय फीस का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

1. सभी सरकारी विभाग—1.7 प्रतिशत की दर से भवन की लागत का
2. अर्ध सरकारी विभाग, मण्डल, निगम तथा निजी संस्थाएं—3 प्रतिशत की दर से भवन की लागत का

इस विभाग को सूचित स्कोप ऑफ वर्क व साईट प्लान के अनुसार आर्किटेक्चरल ड्राईंग तैयार करके संबंधित ग्राहक विभाग को अनुमोदन हेतु भेजी जाती है।

अनुमोदित होने के बाद आर्किटेक्चरल ड्राईंग प्रशासकीय स्वीकृति, स्ट्रक्चरल एडवाइस के लिए संबंधित विभागों को भेजी जाती है।

सभी एडवाइस आने पर वर्किंग ड्राईंग तैयार की जाती है जिसके आधार पर निर्माण कार्य होता है। यह कार्य क्लार्क विभाग में उपलब्ध राशि के अनुसार शुरु कर दिया जाता है।

विभिन्न परियोजनाओं के नक्शों को समय-समय पर सरकार द्वारा सूचित प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाता है।



शिकायत कर्ताओं के प्रति हमारी वचनबद्धता

राज्य सरकार के विभिन्न विभाग / संगठन अपनी शिकायतों के निवारण हेतु निम्नलिखित से अपेक्षा कर सकते हैं:-

1. कार्य शाखा से संबंधित सूचना प्राप्त करने व शिकायतों के निवारण हेतु मुख्य वास्तुक व प्रभारी अधिकारी (कार्य) से सम्पर्क करें।
2. लेखा शाखा से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु मुख्य वास्तुक, लेखा अधिकारी व अधीक्षक लेखा से सम्पर्क करें।
3. स्थापना शाखा से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु मुख्य वास्तुक व अधीक्षक स्थापना से सम्पर्क करें।
4. सूचना का अधिकार (अधिनियम) से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु राज्य जनसूचना अधिकारी से सम्पर्क करें।

क्र०सं०	अधिकारियों का विवरण	पता	स्पर्क विवरण
1.	मुख्य वास्तुक, वास्तुकला विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।	निर्माण सदन, प्लॉट नं०-1, सैक्टर-33ए, चण्डीगढ़।	0172-2602066 Fax No. 0172-2602067 PBX- 0172-2602062-65 Email ID: cahry@hry.nic.in
2.	वरिष्ठ वास्तुक-1, वास्तुकला विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।	सम	0172-2602073 Email ID: arch.sa1-hry@nic.in
3.	वरिष्ठ वास्तुक-2, वास्तुकला विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।	सम	0172-2602069 Email ID: arch.sa2-hry@nic.in
4.	वरिष्ठ वास्तुक-3, वास्तुकला विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।	सम	0172-2602071 Email ID: arch.sa3-hry@nic.in
5.	वरिष्ठ वास्तुक-4, वास्तुकला विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।	सम	0172-2602068 Email ID: arch.sa4-hry@nic.in